Annexure-II

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ......

Office of the District Collector ....

****

No. .....

Dated 28-5-2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that...... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of R.W.D. (name of user agency) for .... (purpose for diversion of forest land) in D.Dun district falls within jurisdiction of Dom Gaon village(s) in D.Dun tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...... annexure ....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of .... villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure.....

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

जिलाधिकारी Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

देहरादून

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून।
जनपद– देहरादून

दिनांक – 28-05-18

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 28-05-18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के किमी0–17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.7035 है0 (वन स्वरूप) भूमि राजस्व विभाग से ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.7035है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(अनुराग शंखधर)	(कहकशां नसीम)	( )
जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी
देहरादून	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।	देहरादून

प.सं0 834(I) / Camp-office / दिनांक 28-05-18

प्रतिलिपि – अधि0 अभि0 ग्रा0 नि0 वि0 देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, देहरादून।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के किमी0–17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि का ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति,(तहसील–देहरादून) की दिनांक 15/5/09 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रत्युष सिंह उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमननुसार है।

1. श्री प्रत्युष सिंह ....उप जिलाधिकारी............अध्यक्ष।
2. श्री के0 पी0 ~~सिंह~~, वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी.........सदस्य।
3. श्रीमति कुंजन बेदवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी.........सदस्य।
4. श्री गोविन्द सिंह ....बी0डी0सी0 क्षेत्र............सदस्य।

परगना मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित .ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि का ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित .ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि का ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

परगना मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून

तहसील.............
जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.............
जनपद–............

परगना मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– डोमगांव

तहसील – देहरादून

जिला – देहरादून

उत्तराखण्ड़ में जनपद–देहरादून के विकास खण्ड़ सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के किमी0–17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 (वन स्वरूप) भूमि का ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोमगांव द्वारा दिनांक 19-3-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 वन स्वरूप भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोमगांव के ग्रामवासियों को उक्त खेवट खाता संख्या 65, खसरा संख्या 3282 वन स्वरूप भूमि को ग्रामीण सड़क, प्रखण्ड़, देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0 (प्रधान ग्राम क्यारकुली भट्टा, विकास खण्ड-सहसपुर, देहरादून)
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

ह0 (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून)
ग्राम सचिव
मुहर सहित

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के विकास खण्ड़–सहसपुर में ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग के किमी0–17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क (कुल लम्बाई –1.05 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 (वन स्वरूप) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड़, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

संलग्न है।

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा
ह0...
विकास खण्ड-सहसपुर, देहरादून

ह0/–
प्रधान/सरपंच
मोहर

दिनांक 19-3-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा क्यारकुली - भट्टा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बलबीर सिंह	[illegible]
2	गजेसिंह कोठवाल	[illegible]
3	Dinesh Singh Thakur.	Thakur.
4	मनीष कोठवाल	मनीष
5	अनिल थापली	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	राकेश थापली	[illegible]
8	रणजीत सिंह कोठवाल	[illegible]
9	सन्तराम	[illegible]
10	मनीष पुन्डीर	मनीष
11	मुकेश सिंह रावत	[illegible]
12	अनिल रावत	[illegible]
13	महेन्द्र सिंह	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	Gambheer Singh	[illegible]
16	महेन्द्र [illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	राजेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
19	विक्रम सिंह	[illegible]
20	नरेश थापली	[illegible]
21	[illegible] सिंह	[illegible]
22		
23		
24		
25		